भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2964

दिनांक, 15.03.2016/25 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

कचरा संग्रह

†2964. **डॉ. उदित राज**:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ठोस कचरा के लिए लैंडफिल का अभाव तथा समुचित कचरा संग्रह/उनका विलगाव के अभाव के कारण एन.सी.टी. दिल्ली, विशेषकर बवाना जैसे क्षेत्र में, सीवर समस्या के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) ने सूचित किया है कि इस संबंध में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संबंध में दिल्ली नगर निगमों द्वारा कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कराया गया है।

(ख): जीएनसीटीडी ने सूचित किया है कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने संग्रहण बिन्दुओं से हाथगाड़ी, साइकिल रिक्शा और ऑटो-टिप्परों की तैनाती करके ठोस अपशिष्ट के प्राथमिक संग्रहण करने और बाद में आवश्यकता के अनुसार ठोस अपशिष्ट को सेनिटरी लैंडफिल स्थलों और कचरे को ऊर्जा संयंत्रों में टिप्पर ट्रकों के माध्यम से ले जाने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

....2/-

लो० सं० अ० प्र० सं० : 2964

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उनके पास नगरीय ठोस अपशिष्ट के लिए उचित निपटान की सुविधा है जो नरेला-बबाना (एकीकृत ठोस प्रोसेसिंग/निपटान सुविधा) में स्थित है। इस सुविधा में कचरे को खाद में परिवर्तित करने हेतु कम्पोस्ट संयंत्र, कचरा जनित ईंधन और अवशिष्ट के निपटान हेतु उचित इंजीनियरीकृत सेनिटरी लैंडफिल स्थल शामिल हैं। इस समय, यह संयंत्र वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग हेतु प्रतिदिन 2000 **एमटी नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान करता है।**

*****